2011:CGHC:7586

प्रकाशन हेतु अनुमोदित **छत्तीसगढ़**

उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव,

रिट याचिका (सेवा) संख्या 5906/2010

याचिकाकर्तागण अर्जुन सिंह एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 24 अगस्त, 2011 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें|

सही/-

मनींद्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2011:CGHC:7586

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव,

रिट याचिका (सेवा) संख्या 5906/2010

याचिकाकर्तागण अर्जुन सिंह एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री दिनेश तिवारी, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्रीमती सुनीता जैन, पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(24 अगस्त, 2011 को पारित)

यह याचिका, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपीलीय प्राधिकारी अर्थात पुलिस उप-महानिरीक्षक, राजनांदगांव रेंज, राजनांदगांव द्वारा दिनांक 8/9/2010 को पारित आदेश तथा अनुशासनिक प्राधिकारी अर्थात पुलिस अधीक्षक, जिला-राजनांदगांव

द्वारा जारी दिनांक 29/9/2010 के अभियोग पत्र की शुद्धता एवं वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. दोनों याचिकाओं द्वारा प्रस्तुत इस याचिका को जन्म देने वाले मामले के तथ्य बहुत ही सीमित दायरे में है।

3. याचिकाकर्तागण, जो उपरोक्त समय पर थाना चेकपोस्ट-अंबागढ़ में आरक्षक के पद पर तैनात थे के विरुद्ध दिनांक 8/11/07 के एक अभियोग पत्र को जारी करते हुए एक विभागीय जांच शरू की गई। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दो आरोपों के अंतर्गत एक ही कार्यवाही में जांच की गई थी क्योंकि कदाचार की कार्यवाही एक ही घटना से संबंधित थी। जांच अंततः अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28/4/09 को पारित दंड के आदेश के साथ समाप्त हुई। अभियोग क्रमांक 1 को सिद्ध पाया गया जबकि यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय के निर्णय के पश्चात अभियोग क्रमांक 2 पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं किया जा सकता| दण्डादेश से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष एक विभागीय अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोग पत्र मुख्यतः पुलिस वाहन पर वनोपज की तस्करी से संबंधित एक अभियोग से संबंधित है और चूंकि अभियोग पत्र में निहित अभियोग, न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले का विषय हैं, उन आरोपों पर जांच नहीं की जा सकती थी। इस विचार पर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोग पत्र स्वयं दोषपूर्ण था। परिणामस्वरूप, विभागीय जांच, अभियोग पत्र जारी होने के चरण से अपास्त कर दी गई। हालांकि, अपीलीय प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित किया कि वे न्यायालय में लंबित मामले के आरोपों को छोड़कर एक नया अभियोग पत्र जारी करें और जांच पूरी करें।

4. इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आक्षेपित अभियोग पत्र दिनांक 29/09/2010 जारी किया। जहां तक पहले अभियोग का प्रश्न है, वह पहली जांच में अभियोग क्रमांक 1 के समान ही था। नए अभियोग पत्र के अंतर्गत दूसरा अभियोग कदाचार के एक अभियोग से संबंधित था जिसमें कहा गया था कि शासकीय वाहन को वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना, थाना से अवैध रूप से हटाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के उस भाग जिसके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी को नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था तथ्य दिनांक 29/9/2010 के एक नए अभियोग पत्र को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस प्रकार का नया अभियोग पत्र जारी करने का आदेश अवैध है और विधि के अंतर्गत क्षेत्राधिकार से बाहर है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलीय प्राधिकारी ने, यह अभिनिर्धारित कर लेने के बाद कि अभियोग पत्र स्वयं दोषपूर्ण था और

संपूर्ण विभागीय जांच तथा जारी किए गए अभियोग पत्र को अपास्त कर दिया था, नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता था क्योंकि इस प्रकार का आदेश अपीलीय प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति के दायरे से बाहर है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का यह तर्क है कि एक बार विभागीय जांच अपास्त कर दिए जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त कर देना चाहिए था। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि एक नए अभियोग पत्र के जारी होने से, उसी प्रकार के आरोपों पर एक नवीन जांच प्रारंभ की गई है, जो पुलिस विनियमों और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में '1966 के नियम') में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय नहीं है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ताओं को एक ही प्रकार के आरोपों पर दो बार उत्पीड़ित किया गया है, जो विधि के अंतर्गत अनुमेय नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के **शंकर केरबा जाधव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1969 (2) एससीसी 793]** तथा **जेम्स जोसेफ बनाम केरल राज्य, [2010 (9) एससीसी 842]** के मामले में निर्णय का अवलेख लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस विनियमों के विनियम 213 में निहित प्रावधान, जिन्हें 1966 के नियमों के नियम 27 के

साथ पढ़ा जाना चाहिए, अपीलीय प्राधिकारी को मामले की परिस्थितियों में उचित निर्देशों के साथ मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को पुनर्निर्देशित करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी को नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश देने की शक्ति भी शामिल है। उत्तरवादी/राज्य के अधिवक्ता का आगे का तर्क यह है कि अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी किए गए अभियोग पत्र में मुख्य आरोपों में से एक वनोपज की चोरी और अवैध परिवहन से संबंधित था, जो न्यायालयीन कार्यवाही का विषय था। इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार का सही ढंग से प्रयोग करते हुए निर्णय लिया कि ऐसा अभियोग विभागीय जांच का विषय नहीं हो सकता। चूंकि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का एक भाग वन अपराध के अभियोग से अलग एक शासकीय सेवक के रूप में आचरण से संबंधित था, अपीलीय प्राधिकारी ने उचित रूप से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल उन आरोपों के संबंध में जांच आयोजित करने के लिए नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जो वन अपराध के अभियोग के आरोपों से संबंधित नहीं हैं और न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले का विषय नहीं हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिका अकालिक है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने, अभियोग पत्र का अपना जवाब दाखिल किए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बिना, जो अब जारी किया गया है, इस याचिका को दायर करने की जल्दबाजी की है। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि किसी भी दुर्भावना के अभिवचन के अभाव में या यह अभिवचन किये बिना कि पुलिस अधीक्षक अभियोग पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं है, यह याचिका, इस स्तर पर पोषणीय नहीं है और अकालिक होने के कारण ख़ारिज किये जाते है।

7. जो तथ्य आक्षेपित नहीं हैं वे ये हैं कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 8/11/07 को एक अभियोग पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए दो अभियोगों का अंतर्वस्तु इस प्रकार था -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क) यह कि याचिकाकर्ता नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थाना से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे और इस प्रकार सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1) **(ii)** और पुलिस विनियमों के नियम 64 (2) (3) में विहित आचरण संहिता का उल्लंघन किया।

ख) यह कि याचिकाकर्ता दिनांक 26/11/07 की रात को पुलिस जीप का अनाधिकृत रूप से उपयोग करके साल की लकड़ी की तस्करी में शामिल रहे और इस प्रकार सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 (1) **(i) (iii)** और पुलिस विनियमों के नियम 64 (2) (3) में विहित आचरण संहिता का उल्लंघन किया।

अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 28/4/2009 के अपने आदेश द्वारा अभियोग क्रमांक 1 को सिद्ध पाया। जहां तक अभियोग क्रमांक 2 का प्रश्न है, अनुशासनिक प्राधिकारी ने उस पर आगे कार्यवाही नहीं की यह अभिलेखित करते हुए कि न्यायालय ने अभियोग क्रमांक 2 पर निर्णय सुनाया है और इसलिए, कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जा रहा है और पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक याचिकाकर्ता पर वेतन में एक वेतन वृद्धि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलीय प्राधिकारी ने, अपने आदेश में, अभिलेखित किया कि अभियोग पत्र का जारी होना ही विधि के अनुसार उचित नहीं था। इस प्रकार का निष्कर्ष इस विचार पर पहुंचा गया था कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध, साल की लकड़ी की तस्करी के अपराध के अभियोग पर प्रकरण संस्थित किया गया था और विभागीय जांच में यही याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मुख्य अभियोग है। हालांकि, विभागीय जांच कार्यवाही को अभियोग पत्र जारी होने के चरण से अपास्त कर देने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी ने नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

9. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दर्शाता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने यह मत बनाया कि चूंकि विभागीय जांच में मुख्य आरोपों में से एक वन अपराध के

अभियोग से संबंधित है जो न्यायालय में लंबित एक आपराधिक मामले का विषय था, इसलिए, उसे विभागीय जांच का विषय नहीं बनाया जा सकता था। अपीलीय प्राधिकारी का यह वाद-विषय किसी भी प्रकार से, अवैध या विभागीय जांच के कार्यवाही को विनियमित करने वाले किसी भी वैधानिक नियम के प्रावधानों के प्रतिकूल कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है। यह देखना होगा कि अभियोग पत्र में, दो शीर्षकों के अभियोग थे। एक अपराध के अभियोग अर्थात वनोपज की तस्करी से संबंधित था जबकि दूसरा अभियोग कदाचार अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित थाना से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से संबंधित था। थाना से अनाधिकृत अनुपस्थिति का अभियोग स्पष्ट रूप से वन अपराध के अभियोग के दायरे में नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी के मन में यही बात थी, जिसने उसे मामले में नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया ताकि जांच केवल उन आरोपों पर आयोजित की जाए, जो वन अपराध के अभियोग से संबंधित नहीं हैं, जिसके संबंध में प्रकरण विधि के न्यायालय में लंबित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश देने की अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति के संबंध में एक मूलभूत प्रश्न उठाया है।

11. **शंकर केरबा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अंतर्गत अपील की वैधानिक योजना से संबंधित प्रकरण में

अभिनिर्धारित किया कि अपील वैधानिक अधिकार का एक सृजन है और अपीलीय न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार विधि के शब्दों द्वारा सीमित होने चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपील न्यायालय एक "त्रुटि सुधार न्यायालय" है और इसका सामान्य कार्य अपीलिय निर्णय को सही करना है और इसका क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सह-विस्तारक होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के उपरोक्त व्यापक सिद्धांत को **जेम्स जोसेफ (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में पुनः दोहराया गया है जहां अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार की व्यापकता, सीमा और प्रतिबंध अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले विधि द्वारा प्रयुक्त भाषा पर निर्भर करती हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में लागू अपील से संबंधित प्रावधानों की जांच, उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताये गए और दोहराये गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, की जानी आवश्यक है। **सोनीराम ध्रुव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, [W.P.(S) क्र. 1387/05]** में, जिसका निर्णय दिनांक 5/2/2010 को किया गया, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस विनियमों के खंड 213 में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधान पुलिस अधिकारियों के संबंध में दंड और अपील को विनियमित करेंगे और इसलिए, पुलिस

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विनियमों में दंड आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार किया जाएगा, इसे निर्धारित करने वाले विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधान, जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलीय शक्ति के प्रयोग के तरीके, आयाम और व्यापकता का विहित करते हैं, लागू होते हैं। नियम 27 (2) (सी) (**ii**) में निहित प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने दंड लगाया या बढ़ाया था, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले निर्देशों के साथ पुनर्निर्देशित करने की शक्ति है। उपरोक्त शक्ति अपीलीय प्राधिकारी को उन निर्देशों के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना प्रदान की गई है जिनके साथ मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेजा जा सकता है। सुसंगत प्रावधान में प्रयुक्त शब्द व्यापक अर्थ वाले हैं। इसलिए, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे जाने वाले निर्देशों के साथ मामले को पुनर्निर्देशित करने की अपीलीय प्राधिकारी की शक्ति पर विवाद नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलीय प्राधिकारी ने नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश देते समय अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग किया है। अपीलीय आदेश में कथित कार्यकारी कारण यह है कि याचिकाकर्ताओं के

विरुद्ध अभियोग पत्र जारी करके विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसमें मुख्यतः ऐसे अभियोग शामिल हैं, जो विधि के न्यायालय में जांच का विषय हैं। अभियोग पत्र और अन्य सामग्री से, जो अभिलेख पर रखी गई है, किसी भी पक्ष द्वारा आक्षेपित नहीं है और स्पष्ट रूप से प्रकट है कि याचिकाकर्ताओं को शासकीय वाहन में साल की लकड़ी की तस्करी के कथित वन अपराध के अभियोग के लिए आपराधिक सुनवाई के अधीन किया गया था जिससे वन अपराध का अभियोग लगाया गया था। हालांकि, पहले अभियोग पत्र में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाया गया पहला अभियोग, किसी भी प्रकार से वन अपराध के अभियोग से संबंधित नहीं है, ऐसा कहने के लिए कि वह भी विधि के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में विचार का विषय है। पहला अभियोग थाना से अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यदि उपरोक्त परिस्थितियां थीं, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दंड आदेश और जांच को अवैध ठहराने के आधार के रूप में लिया गया, तो अपीलीय प्राधिकारी उचित आदेश पारित कर सकता था जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी को उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना पुलिस वाहन के अनाधिकृत उपयोग के संबंध में एक नया अभियोग जोड़कर, शासकीय वाहन में वनोपज की चोरी/तस्करी के अभियोग को हटाकर, अभियोग पत्र में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया जाता। वास्तव में, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित

आदेश का सूक्ष्म अध्ययन दर्शाता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने भी यह विचार करते हुए कि वह न्यायालयीन कार्यवाही का विषय है, याचिकाकर्ताओं को दूसरे अभियोग का दोषी नहीं ठहराया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी विधिक स्थिति से पूर्णतः अवगत था और इसलिए, शासकीय वाहन में वनोपज की तस्करी से संबंधित दूसरे अभियोग के लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया लेकिन पहले अभियोग को सिद्ध पाया गया और शास्ति अधिरोपित किया। दो अभियोग (पहले अभियोग पत्र में) स्पष्ट रूप से अलग और भिन्न थे और यह संभव था, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ठीक ही किया गया था, कि अपराध के अभियोग को विभागीय जांच के दायरे से बाहर रखा जाए और पहले अभियोग पर जांच करके निर्णय लिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हैरानी की बात है कि, अपीलीय प्राधिकारी ने भी तर्क की वही पद्धति अपनाई। यदि ऐसा था, तो दोष सिद्धि और अभियोग क्रमांक 1 पर शास्ति की मात्रा में हस्तक्षेप करने के लिए अन्य आधार के अभाव में, अपीलीय प्राधिकारी ने, यह पाते हुए कि अभियोग क्रमांक 2, जहां तक वन अपराध के अभियोग का संबंध है, बाहर रखे जाने और तदनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, सब कुछ आवश्यक था कि मामले को दूसरे अभियोग में उचित संशोधन करने और दूसरे अभियोग पर जांच करने तथा जांच

अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने और फिर दो अभियोगों के संबंध में जांच अधिकारी की प्रतिवेदन के आधार पर उचित आदेश पारित करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जाए।

15. इसलिए, नया अभियोग पत्र जारी करने का अपीलीय प्राधिकारी का निर्देश उसकी अपीलीय आदेश में चर्चा, तर्क और निष्कर्ष से तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि पहले और बाद के अभियोग पत्र में, अभियोग क्रमांक 1 बिना किसी परिवर्तन के एक ही है और अभियोग क्रमांक 1 पर जांच पहले ही की जा चुकी है और जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत की जा चुकी है। इसलिए, नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश देने का कोई तर्क या तर्कशक्ति नहीं थी। इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, जहां तक वह नया अभियोग पत्र जारी करने का निर्देश देता है, विधि के अंतर्गत कायम रखने योग्य नहीं है और तदनुसार अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. परिणामस्वरूप, दिनांक 29/09/2010 को जारी किया गया दूसरा अभियोग पत्र भी अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है। हालांकि, उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास इस निर्देश के साथ पुनर्निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 8/11/2007 के अभियोग पत्र से अभियोग क्रमांक 2 को हटा दें और वन अपराध के

अभियोग को हटाकर, इसे अनुमति और प्राधिकार के बिना पुलिस वाहन के अनाधिकृत उपयोग के अभियोग तक सीमित रखते हुए, उचित संशोधन कर सकते हैं और अभियोग जोड़ सकते हैं। तत्पश्चात, अनुशासनिक प्राधिकारी विधि के अनुसार संशोधित अभियोगों में जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है और अंतिम निर्णय पहले से जांच अधिकारी द्वारा अभियोग क्रमांक 1 पर अभिलिखित किए गए निष्कर्षों और संशोधित अभियोग के संबंध में विधि के अनुसार जांच करके अभिलिखित किए जा सकने वाले निष्कर्षों के आधार पर लिया जा सकता है।

17. तदनुसार, याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मनींद्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS